न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 208/2012

बनाम

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

प्रतिवादी :-

1. प्रकाश रांका पुत्र देवराज रांका
जाति-महाजन, निवासी-निमाज
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.15.10.2012

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 05/06/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 882, 882/3, 1256 रकबा 9-19 बीघा किस्म चा0चा0, लगान 06.18 रुपये की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 6-19 बीघा किस्म चा0चा0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर आवासीय कॉलोनी के रुप में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति आवासीय कॉलोनी के रुप में उपयोग कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाज़ा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये पत्र संख्या 1640 दिनांक 15/10/12 को तलब किया गया। सम्मन तामील नहीं हुआ हैं। कहीं बाहर रहता हैं। फर्द पटवारी ने बनाई हैं। उससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कृषि भूमि में अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में ली जा रही हैं। सबूत के तौर पर पर्याप्त हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति0 ने सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 882, 882/3, [redacted] रकबा 6-19 बीघा किस्म चा0चा0 में आवासीय कॉलोनी के रुप में एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–::आदेश::–

अतः डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–निमाज–प्रथम, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 882, 882/3, [redacted] रकबा 6–19 बीघा किस्म चा0चा0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–निमाज पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादी :-
1. प्रकाश रांका पुत्र देवराज रांका
जाति-महाजन, निवासी-निमाज
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 208/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 882, 882/3, [redacted] रकबा 6-19 बीघा किस्म चा0चा0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner